बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड और एक अन्य

बनाम

उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य

21 अक्टूबर, 1975

[पी. के. गोस्वामी और एन. एल. अंतवालिया, जे. जे.]

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948- धारा 49- क्या विद्युत बोर्ड बिजली पर अधिभार शुल्क लगा सकता है।

पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थ को भेजा गया- क्या न्यायालय इसे वापस लेकर इसका निस्तारण कर सकता है।

पक्षकारों के मध्य समझौते के खंड 13 के तहत बिजली की आपूर्ति की टैरिफ और शर्तें आपूर्तिकर्ता द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले किसी भी संशोधन के अधीन थीं। खंड 23 में कहा गया है कि उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद को मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। प्रतिवादी ने एक प्रेस नोट जारी कर ग्राहकों की कुछ श्रेणियों पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाने का निर्णय लिया,

जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल थे। अपीलकर्ताओं ने शुल्क को चुनौती दी लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिकाएं खारिज कर दीं।

इस न्यायालय में अपील पर यह तर्क दिया गया कि (1) बोर्ड के पास अधिनियम के तहत शुल्क अधिभार लगाने की कोई शक्ति नहीं थी, (2) समझौते के खंड 13 में अधिभार नहीं लगाया जा सकता है और इस प्रकार यह समझौते के खंड 23 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ का मामला नहीं है और (3) कुछ श्रेणियों को छूट देने और अपीलकर्ताओं पर अधिभार लगाने में बोर्ड भेदभाव का दोषी था, जो अधिनियम की धारा 49 और समझौते की अनुसूची । के खंड 2 के तहत स्वीकार्य नहीं है।

अपीलों को ख़ारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया कि: (1) अधिभार के माध्यम से दरों में वृद्धि अधिनियम के प्रावधानों के तहत टैरिफ की दरों को तय या संशोधित करने की बोर्ड की शक्ति के भीतर है। अधिनियम में "अधिभार" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका अर्थ अतिरिक्त शुल्क या अतिरिक्त भुगतान है, और वर्तमान मामले में यह वास्तव में टैरिफ की निर्धारित दर के अतिरिक्त है। [311 ए-बी; 310 एच]

(2) (i) यह केवल वहीं है जहां समझौते के अस्तित्व के दौरान दरों में संशोधन के संबंध में किसी विशेष समझौते में कुछ भी उल्लेखित नहीं

है कि विशेष समझौतों का अस्तित्व अधिभार जोड़कर विशेष समझौतों में निर्धारित दरों में किसी भी वृद्धि को रोकता है। वर्तमान मामले में समझौते का खंड 13 दरों में संशोधन का प्रावधान करता है और अधिभार टैरिफ की दरों से पूरी तरह से अलग नहीं है क्योंकि अधिभार लगाने का प्रभाव समझौते के तहत निर्धारित बिजली की आपूर्ति की दरों में वृद्धि करना होगा। [312 ए-बी]

एम/एस टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य, [1975] 2 एस. सी. सी. 436, का अनुपालन किया गया।

भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड, [1975] 2 एस. सी. सी. 414, की व्याख्या की गई।

इसलिए, विवादग्रस्त मामला समझौते के मध्यस्थता खंड के अंतर्गत आता है। [313 ब]

(ii) हालाँकि प्रेस नोट में अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन ऐसी चूक करने से बोर्ड दरों में संशोधन के दावे के लिए खंड 13 का सहारा लेने से वंचित नहीं हो गया।

(iii) यह न्यायालय द्वारा अपने विवेक के प्रयोग से उपयुक्त मामला नहीं है कि वह मामले को मध्यस्थता से रोक दे और केवल इसलिए स्वयं

इसका निस्तारण करे क्योंकि न्यायालय के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा करने का विवेक है और यह कि वह ऐसे प्रश्नों पर निर्णय बेहतर ढंग से कर सकता है। मध्यस्थता खंड व्यापक आयाम का है, समझौते की व्याख्या को भी और अनिवार्य रूप से खंड 13 की व्याख्या को इसमें शामिल किया गया है। [314 एफ]

(3) धारा 49 के तहत प्रावधानों की समग्रता, इस मामले में उठाई गई भेदभाव की दलील समझौते के खंड 13 के मद्देनजर कोई गुंजाइश नहीं छोडती है। जहां तक उन विभिन्न उद्योगों का संबंध है, जिन पर शुल्क नहीं लगाया गया है, यह ज्ञात नहीं है कि समझौतों के खंड 13 जैसा कोई समान प्रावधान है या नहीं। [313 जी-एच]

जब कानून कुछ विशेष समझौतों को उनके प्रचलन के दौरान पूरी ताकत से जारी रखना अनिवार्य बनाता है, जिससे उस अवधि के दौरान दरों को संशोधित करने की बोर्ड की शक्ति समाप्त हो जाती है, विशेष समझौतों द्वारा शासित ऐसे उद्योगों को छूट देने के मामले में भेदभाव का कोई आधार नहीं बनाया जा सकता है। [314 बी]

एम/एस टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य, [1975] 2 एस. सी. सी. 436, को लागू किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं 106 और 107/1975

ओ. जे. सी. सं 851 और 850/1972 में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय और आदेश दिनांकित 18.10.74 से विशेष अनुमति द्वारा क्रमशः अपीलें।

एस. वी. गुप्ते (सीए 107/75 में) और विनू भगत अपीलार्थी के लिए।

प्रतिवादी की ओर से महाधिवक्ता जी. रथ और बी. पार्थसारथी प्रतिवादी संख्या 1 के लिए (सी ए 106/75 में और सी ए 107/75 में प्रतिवादी)

न्यायालय का निर्णय गोस्वामी, जे. द्वारा पारित किया गया। यह निर्णय उपरोक्त दोनों अपीलों को शासित करेगा।

हम तथ्यों को संक्षेप में सिविल अपील संख्या 107/1975 से ले सकते हैं।

उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (संक्षेप में कंपनी) है और कपड़ों के निर्माण में संलग्न है। यह कटक (उड़ीसा) जिले के चौद्वार में स्थित है। 12 मई, 1960 को, कंपनी (समझौते में उपभोक्ता के रूप में वर्णित) ने बिजली की आपूर्ति के लिए उड़ीसा राज्य

(अनुबंध में आपूर्तिकर्ता के रूप में वर्णित) के साथ एक समझौता किया। यह अनुबंध बिजली की आपूर्ति की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए था, अर्थात् 1 फरवरी, 1963 और इसके बाद यह तब तक जारी रहा जब तक कि समझौते को समाप्त करने के इरादे के बारे में किसी भी पक्ष द्वारा आगामी छह कैलेंडर महीनों से पहले नोटिस देकर यह निर्धारित नहीं किया गया। यह सामान्य आधार है कि समझौता समाप्त नहीं किया गया है।

इस स्तर पर समझौते के कुछ खंडों का उल्लेख करना उचित होगा। खंड 12 उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क के साथ-साथ अधिकतम मांग के बारे में भी प्रावधान करता है। खण्ड 13 इस प्रकार है:-

> "इस समझौते में उल्लिखित टैरिफ और आपूर्ति की शर्तें आपूर्तिकर्ता द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले किसी भी संशोधन के अधीन होंगी"।

खंड 22 मिलों की कॉलोनी में घरेलू प्रकाश व्यवस्था, पंखे, घरेलू बिजली और स्ट्रीट लाइटिंग आदि के संबंध में अतिरिक्त शुल्क से संबंधित है। खण्ड 23 इस प्रकार है:-

> "विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति या उसके दबाव के संबंध में या इस समझौते की व्याख्या के संबंध में उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता या उनके संबंधित विद्युत इंजीनियरों के बीच

उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद या क्रमशः आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के एक समान या किसी अन्य प्रश्न, मामले या विषय वस्तु को निर्धारित करने के अधिकार को एकल मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा, जिससे दोनों पक्ष परस्पर सहमत होंगे। उस पर मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता अधिनियम 1940 (X/1940) या उस समय लागू किसी भी अन्य वैधानिक संशोधन के प्रावधान ऐसे किसी भी संदर्भ पर लागू होंगे।"

1 अप्रैल, 1962 को, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड (संक्षेप में बोर्ड) का गठन किया गया था। अधिनियम की धारा 60(1) के तहत "इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए जाने वाले सभी ऋण और दायित्व, किए गए सभी अनुबंध और सभी मामले बोर्ड के गठन से पहले बोर्ड द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किया गया माना जाएगा. " इसलिए, इस धारा के द्वारा, बोर्ड ने उन मामलों के संबंध में राज्य सरकार के सभी दायित्वों स्वयं का मान लिया जिन पर अधिनियम लागू होता है। यह सामान्य बात है कि कंपनी और राज्य सरकार के बीच हुआ अनुबंध दोनों पर बाध्यकारी है।"

बोर्ड ने बिजली टैरिफ पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाने का निर्णय लिया, जो 1 जुलाई, 1972 से लागू हुआ और तदनुसार एक प्रेस नोट जारी किया गया। प्रेस नोट का प्रासंगिक हिस्सा उद्धृत किया जा सकता है:

> "उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड ने निम्नलिखित श्रेणियों के उपभोक्ताओं को छोड़कर, जो मौजूदा टैरिफ का भुगतान करेंगे, वर्तमान में लागू बिजली टैरिफ पर 10 प्रतिशत का सामान्य और एक समान अधिभार लगाने का निर्णय लिया है: -
>
> (1) विद्युत गहन उद्योग जो विशेष समझौतों द्वारा शासित हैं।
>
> (2) घरेलू बिजली और प्रकाश व्यवस्था।
>
> सिंचाई भार (पंपिंग और कृषि) के संबंध में बिजली शुल्क 0.16 पी (सोलह पैसे) प्रति यूनिट (केडब्ल्यूएच) होगा और समय पर भुगतान के लिए 0.01 पी (एक पैसा) प्रति यूनिट 'केडब्ल्यूएच पी' की छूट होगी....
>
> 10 प्रतिशत का उपरोक्त अधिभार हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला और कलिंगा आयरन वर्क्स, बारबिल को बिजली आपूर्ति पर भी लागू है।

10 प्रतिशत अधिभार की वसूली मांग शुल्क, इकाई शुल्क, अधिकतम और न्यूनतम शुल्क और आरक्षण शुल्क पर होगी।

*** *** ***

बोर्ड के समग्र वित्तीय रिटर्न में सुधार लाने और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे बड़े विकास कार्यक्रमों को शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए सिंचाई भार के लिए अधिभार और संशोधित टैरिफ लगाना आवश्यक हो गया है।

*** *** ***

ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त प्रेस नोट में "ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे बड़े विकास कार्यक्रमों" के संदर्भ में दूसरा उद्देश्य एक संशोधित प्रेस नोट द्वारा हटा दिया गया।

कंपनी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन द्वारा अधिभार लगाने को असफल रूप से चुनौती दी। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में कई तर्क दिये गए। अधिभार को, अन्य बातों के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई। इस आपत्ति को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया और कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आपातकाल के दौरान उस

अनुच्छेद को राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किए जाने के मद्देनजर हम पर उसे थोपने में असमर्थ रहे।

कुछ अन्य आधार, जिनमें यह भी शामिल है कि खंड 13 अधिनियम के दायरे से बाहर है, उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए थे लेकिन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत किए गए हैं।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुप्ते का तर्क है कि:-

(1) बोर्ड के पास अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिभार लगाने की कोई शक्ति नहीं है।

(2) समझौते के खंड 13 में अधिभार नहीं लगाया जा सकता। इसलिए, यह समझौते के खंड 23 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ का मामला नहीं है।

(3) यह मानते हुए कि उसके पास अधिनियम के तहत या खंड 13 के तहत अधिभार लगाने की शक्ति है, बोर्ड कुछ श्रेणियों को छूट देने और अपीलकर्ताओं पर अधिभार लगाने में भेदभाव का दोषी है जो अधिनियम की धारा 49 और समझौते की अनुसूची । के खंड (2) के तहत स्वीकार्य नहीं है।

अपने पहले तर्क के संबंध में श्री गुप्ते का कहना है कि अधिनियम के प्रावधानों में अधिभार को परिभाषित नहीं किया गया है और बोर्ड के पास अधिनियम के तहत अधिभार लगाने की कोई शक्ति नहीं है। इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि अधिभार की मांग को टैरिफ दरों के संशोधन में शामिल नहीं किया जा सकता है।

अधिभार शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन व्युत्पत्ति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क या अतिरिक्त भुगतान है (शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी देखें)। इस प्रकार अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क है, जो सामान्य या वर्तमान देय राशि से अधिक शुल्क है। हालाँकि, इसलिए, वर्तमान मामले में यह अधिभार के रूप में है, यह वास्तव में टैरिफ की निर्धारित दरों के अतिरिक्त है। इसलिए, इसकी परिभाषा स्थिति में कोई बदलाव नहीं करती है। दरों में वृद्धि के माध्यम से; अधिभार अधिनियम के प्रावधानों के तहत टैरिफ की दरें तय करना या संशोधित करना बोर्ड की शक्ति में है। इसलिए, अधिवक्ता के प्रथम तर्क का कोई फायदा नहीं है।

इससे पहले कि हम अधिवक्ता के दूसरे तर्क पर विचार करें, हम मेसर्स टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य [1975] 2 एस सी सी 436 (संक्षेप में टीटागढ़ का मामला) में इस न्यायालय के हालिया फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें हम एक

पक्षकार के रूप में थे। यह न्यायालय टीटागढ़ के मामले (सुप्रा) में अधिनियम की धारा 49 और 59 के दायरे के संबंध में भारतीय एल्युमीनियम कंपनी बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड [1975] 2 एससी. सी. 414 में दिए गए निर्णय का अनुसरण इस प्रकार करता है:-

> "...न तो धारा 49 और न ही धारा 59 बोर्ड को बिजली की आपूर्ति के लिए दरों को बढ़ाने का कोई अधिकार प्रदान करती है, जहां वे एक समझौते में की गई शर्त के तहत तय की जाती हैं। बोर्ड के पास इन दोनों धाराओं में से किसी के तहत संविदात्मक शर्त को खत्म करने और बिजली की आपूर्ति के लिए दरों को एकतरफा बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है।"

उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, जैसे कि अधिनियम की धारा 49(3) के तहत, एक समझौता किया गया है, समझौते में इस संबंध में किसी भी प्रावधान के अभाव में पक्षकारों के बीच सहमत दरों को बढ़ाने के लिए अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा शक्ति के एकतरफा प्रयोग से इसे शून्य नहीं किया जा सकता है। इंडियन एल्युमीनियम कंपनी के मामले (सुप्रा) में टैरिफ के संशोधन के संबंध में समझौते में कोई प्रावधान नहीं था, जैसा कि हम वर्तमान समझौते के खंड 13 में पाते हैं। इसलिए, इस न्यायालय को उस मामले में

खंड 13 जैसे खंड के प्रभाव के बारे में विचार नहीं करना पड़ा। धारा 49 की उपधारा (1) और (2) बोर्ड को टैरिफ की एक समान दरें तय करने का अधिकार देती है। दूसरी ओर, धारा 49 की उप-धारा (3) बोर्ड को उसमें उल्लिखित कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टैरिफ तय करने की शक्ति सुरक्षित रखती है। धारा 49(3) उस पर विचार करती है जिसे 'विशेष समझौते' के रूप में जाना जाता है। धारा 49(1) और (2) के तहत शक्ति को किसी भी आरक्षण के अभाव में टैरिफ की दरों को निर्धारित करने के लिए प्रदान करने वाले विशेष समझौतों के अस्तित्व के दौरान लागू नहीं किया जा सकता है। धारा 49 (1) और (2) के साथ-साथ धारा 59 के तहत शक्ति का प्रयोग पार्टियों के बीच विशेष समझौतों की अवधि के दौरान निलंबित रहेगा और कानून के तहत दरों में कोई एकतरफा वृद्धि की अनुमति नहीं है। अधिनियम की धारा 49(3) के अनुरूप दर्ज किए गए वैधानिक विशेष समझौतों के अस्तित्व के दौरान दरों में संशोधन पर केवल अस्थायी प्रतिबंध है।

हालाँकि, श्री गुप्ते का तर्क है कि चूंकि पक्षकारों के मध्य विशेष समझौते हुए हैं, इसलिए निर्धारित दरों को प्रश्न में अधिभार जोड़कर नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह तर्क गलत धारणा पर आगे बढ़ता है कि अधिभार टैरिफ की दरों से बिल्कुल अलग है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दरों में संशोधन के संबंध में समझौते के खंड 13 को ध्यान में रखने में विफल

रहता है। इंडियन एल्युमीनियम कंपनी के मामले (सुप्रा) का अनुपात केवल वहीं लागू होगा जहां समझौते के अस्तित्व के दौरान दरों में संशोधन के संबंध में विशेष समझौते में कुछ भी उल्लेखित नहीं है।

दूसरे तर्क के संबंध में, जो पहले के साथ कुछ हद तक अतिव्याप्त है, श्री गुप्ते बताते हैं कि खंड 13 के तहत टैरिफ के संशोधन में अधिभार की वसूली शामिल नहीं हो सकती है जो टैरिफ से अलग है। वह प्रेस नोट के विभिन्न खंडों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जहां 'सरचार्ज और टैरिफ' दोनों अभिव्यक्तियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, विद्वान महाधिवक्ता का तर्क है कि अधिभार का आयात मूल शुल्क की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि अधिभार को टैरिफ में जोड़ा जाता है तो यह टैरिफ का हिस्सा बन जाता है।

जब प्रेस नोट टैरिफ दरों के अतिरिक्त अधिभार का परिचय देता है, तो दो शब्दों के अलग-अलग उपयोग से ज्यादा कुछ नहीं निकाला जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता के पहले तर्क से निपटते समय हमने पहले ही 'अधिभार' शब्द के अर्थ पर ध्यान दिया है। हम केवल यह कह सकते हैं कि टीटागढ़ के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में मामले को विवाद से परे रखा है:-

"अब, कोयला अधिभार लगाने का प्रभाव समझौते के तहत निर्धारित बिजली की आपूर्ति के लिए दरों में वृद्धि करना होगा"।

टीटागढ़ के मामले (ऊपर) के अलावा इस न्यायालय ने आगे इस प्रकार टिप्पणी की:

"प्रश्न जैसे: क्या बोर्ड के पास समझौते के खंड (13) के तहत कोयला अधिभार लगाने की शक्ति है, जबकि अधिनियम द्वारा उसे ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई थी, क्या समझौते के खंड (13) के तहत अपीलकर्ता पर कोयला अधिभार लगाने में बोर्ड की कार्रवाई मनमानी और अनुचित थी या क्या यह बाहरी और अप्रासंगिक विचारों पर आधारित थी और क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता पर कोयला अधिभार लगाना समझौते के खंड (13) के तहत उचित था, स्पष्ट रूप से समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले प्रश्न हैं और वे समझौते के खंड (23) में निहित मध्यस्थता प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, समझौते के खंड (13) के संदर्भ में कोयला अधिभार लगाने को उचित ठहराने के दावे के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्क मध्यस्थता समझौते के

अंतर्गत आते प्रतीत होंगे और ऐसा कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्ता को मध्यस्थता के उपाय का अनुसरण नहीं करना चाहिए, जिसे उसने समझौते के खंड (23) के तहत गंभीरता से स्वीकार किया है और इसके बजाय उन प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करना चाहिए जो वास्तव में मध्यस्थता समझौते की विषय वस्तु बनते हैं।"

यद्यपि यह न्यायालय उपरोक्त निर्णय में कोयला अधिभार से निपट रहा था, कोयला अधिभार या अधिभार सरलीकरण के बीच सैद्धांतिक रूप से कोई अंतर नहीं है और उपरोक्त निर्णय का अनुपात इस मामले में लागू होगा। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क विफल हो जाता है और यह बिंदु उपरोक्त निर्णय द्वारा स्पष्ट रूप से कवर हो जाता है। इसलिए, यह मामला समझौते के मध्यस्थता खंड 23 के अंतर्गत आता है। अधिनियम की धारा 49 और समझौते की अनुसूची । के खंड (2) पर आधारित भेदभाव के संबंध में अंतिम तर्क के संबंध में, श्री गुप्ते ने धारा 49 की उप-धारा (4) पर भरोसा किया जो टैरिफ और शर्तों को तय करने का प्रावधान करता है और बिजली की आपूर्ति की शर्तों के अनुसार, बोर्ड किसी भी व्यक्ति को अनुचित प्राथमिकता नहीं देगा। उन्होंने समझौते की पहली

अनुसूची में आपूर्ति की शर्तों के खंड (2) की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि "विभाग ऊर्जा की आपूर्ति के लिए शुल्क तय करने में विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव करने का हकदार नहीं होगा"। समझौता अधिनियम की धारा 49(3) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। यदि हम धारा 49 को समग्र रूप से पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उस धारा की उप-धारा (1) के तहत, बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति करता है जो लाइसेंसधारी नहीं है, "ऐसी आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए एक समान टैरिफ निर्धारित कर सकता है"। इसके बाद उप-धारा (3) आती है जो बोर्ड की शक्ति को संरक्षित करती है, "यदि वह किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसधारी नहीं होने वाले किसी भी व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति के लिए अलग-अलग टैरिफ तय करना आवश्यक या समीचीन समझती है, आपूर्ति की प्रकृति और उद्देश्य जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है और कोई अन्य प्रासंगिक कारक"।

श्री गुप्ते का कहना है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि बिजली-गहन उद्योगों, जो विशेष समझौतों द्वारा शासित होते हैं, को प्रेस नोट में अधिभार लगाने से छूट दी जानी चाहिए। वह आगे बताते हैं कि विशेष अनुमति याचिका के पैराग्राफ 20 में संदर्भित आठ उद्योग हैं जिन पर उपरोक्त 10 प्रतिशत अधिभार नहीं लगाया गया है, भले ही उनके मामले में प्रति यूनिट चार्ज की गई बिजली की दरें उड़ीसा कपड़ा मिल की तुलना में कम हैं।

यह इंगित करना पर्याप्त है कि विशेष अनुमति याचिका में उल्लिखित उद्योग विशेष समझौतों के अंतर्गत आते थे और हमें यह भी नहीं बताया गया है कि क्या इन विशेष समझौतों में वर्तमान मामले में खंड 13 जैसा कोई खंड था। इस न्यायालय ने माना है कि धारा 49(3) के तहत किए गए विशेष समझौतों को धारा 59 के साथ पठित धारा 49 के तहत दरों में संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण, भेदभाव के मुद्दे पर आपत्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता है। धारा 49 के तहत प्रावधानों की समग्रता इस मामले में उठाए गए भेदभाव की दलील के लिए और समझौते में खंड 13 के मद्देनजर कोई गुंजाइश नहीं देती है।

हम अधिवक्ता द्वारा आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति प्रतिबंध के तहत संविधान के अनुच्छेद 14 के सुरक्षा को खो देने के बाद भेदभाव के शीर्षक के तहत अपने तर्कों को आगे बढ़ाने में अक्षमता की सराहना कर सकते हैं। भेदभाव की दलील, जो तब उपलब्ध होती है जब अनुच्छेद 14 स्वतंत्र रूप से लागू होता है, अधिनियम की धारा 49 के तहत 'अनुचित पक्षपात' के निषेध के बराबर नहीं है। इसके अलावा, जब कानून कुछ विशेष समझौतों को उनकी मुद्रा के दौरान पूरी ताकत से जारी रखना अनिवार्य बनाता है, तो इस अवधि के दौरान दरों को संशोधित करने की बोर्ड की शक्ति समाप्त

हो जाती है, विशेष समझौतों द्वारा शासित ऐसे उद्योगों को छूट देने के मामले में भेदभाव का कोई आधार नहीं बनाया जा सकता है।

हालाँकि मौजूदा मामले में प्रेस नोट में उस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया जिसके तहत इसे जारी किया गया था, ऐसा करने में चूक करने मात्र से बोर्ड को, हालांकि इस मामले में अधिभार के रूप में दरों में संशोधन के दावे के लिए समझौते के खंड 13 पर जवाब देने का अधिकार नहीं मिल जाता है। इसलिए, हम प्रेस नोट में खंड 13 या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लेख करने की चूक को कोई महत्व नहीं देते हैं। इसलिए, यह मामला समझौते के मध्यस्थता खंड 23 के अंतर्गत आता है। इस न्यायालय का काम यह अनुमान लगाना नहीं है कि मध्यस्थ उन विवादित प्रश्नों के संबंध में क्या उत्तर देगा जो उसके समक्ष उठाए जा सकते हैं। हमें विवाद के गुण-दोष या अधिभार के संबंध में पार्टियों के बीच मतभेद पर कोई राय व्यक्त करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

फिर यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय को ऐसे मामले में मध्यस्थता के पक्ष में अपने विवेक का उपयोग नहीं करना चाहिए जहां यह अधिभार लगाने की बोर्ड की शक्ति के बारे में कानून का शुद्ध प्रश्न है। यदि एकमात्र प्रश्न अधिनियम की धारा 49 और 59 के तहत अधिभार लगाने की बोर्ड की शक्ति का दायरा और क्षेत्र है, तो इस तर्क में बहुत ताकत होगी,

जैसा कि शुरू में तर्क देने की मांग की गई थी। उस स्थिति में प्रश्न समझौते के खंड 23 की सामग्री के अंतर्गत नहीं रहा होगा। लेकिन कानून के सभी प्रश्न, जिनमें से एक समझौते की व्याख्या हो सकती है, को घरेलू मंच से वापस लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधिकार है और न्यायालय ऐसे प्रश्नों का निर्णय बेहतर कर सकता है। मध्यस्थता खंड 23 व्यापक आयाम का एक खंड है जो समझौते की व्याख्या को भी अपने दायरे में लेता है और इसलिए, आवश्यक रूप से, उसमें खंड 13 को भी शामिल करता है। इसलिए, हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि हमें मामले को मध्यस्थता से रोकने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और खुद ही इससे निपटना चाहिए।

इसलिए हमें रिट आवेदन पर विचार करने में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। परिणामस्वरूप अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं। हालाँकि, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देंगे।

पी.बी.आर. अपीलें खारिज की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।